# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर
## (केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
## सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक–29.03.2025 के अनुपालन में वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में स्थित चाय, नमकीन व मीठा तथा फोटो स्टेट के दुकान की पुनः नीलामी आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए नियमानुसार दिनांक 10.04.2025 को अपरान्ह् 04.30 बजे मुख्यालय स्थित दरा कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है। नीलामी की शर्ते निम्नवत हैं :–

1– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

2– बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक दुकान हेतु रू0 5,000/–की नकद धनराशि बतौर जमानत पृथक–पृथक जमा करनी होगी।

3– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4– प्रत्येक दुकानदार को मूल्य सूची दुकान पर लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा। दुकान पर बिकने वाली समस्त खादय साम्रिग्रयॅा ताजी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। धूल एवं मक्खियो से बचाने हेतु खादय सामग्रियो को ढ़क कर रखना होगा, ऐसा न करने पर ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

5– जनपद न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियो को खादय सामिग्रयॅा उचित मूल्य पर देना होगा, जिसकी दरे प्रभारी अधिकारी, नजारत द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6– प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जॉच कर सकते हैं। संबंधित दुकानों की जॉच करने का अधिकार सुरक्षित हैं।

7– नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा करना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा करना होगा।

8– जिस ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शतप्रतिशत धनराशि जमा नही की गयी है, से वित्तीय वर्ष 2025–26 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**वाहय स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), मुहम्मदाबाद, गाजीपुर स्थित नीलामी हेतु दुकानों का विवरण**

| क0सं0 | दुकानों का विवरण | न्यूनतम नियत सरकारी बोली |
|---|---|---|
| 1 | चाय, मीठा एवं नमकीन की दुकान | 79,500.00 |
| 2 | फोटो स्टेट की दुकान | 2,30,700.00 |

(शक्ति सिंह–प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

दिनांक–मार्च/29/2025

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– नोडल आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

3– जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश सं० 562/उन्नीस–2-2007-1007/74 (टी०सी०) दिनांकित 04 जूलाई,2007 लखनऊ के आलोक में सरकारी हित में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु इसका प्रकाशन अधिक से अधिक दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयो को सूचना पटटो पर चस्पा किये जाने हेतु।**

1– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2– नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3– नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
4– नोटिस बोर्ड, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
5– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार ,सदर, गाजीपुर।
6– नोटिस बोर्ड, विकास भवन, गाजीपुर।
7– नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, मु0बाद, गाजीपुर।
8– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, मु0बाद, गाजपुर।
9– नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
10–नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर।
11–नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
12–नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय मु0बाद, गाजीपुर।
13–नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर।
14–सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को 10 प्रतियो में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने हेतु।
15–सम्पादक, तरूण मित्र, हिन्दी दैनिक, जौनपुर।

(शक्ति सिंह–प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

दिनांक–मार्च/29/2025